

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका  
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

राँची, दिनांक ०५/०४/१९

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019–20 के मांग संख्या— 50—जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष—2702— लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष—02—भू—जल, लघु शीर्ष—005 अन्वेषण, उप शीर्ष—01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट मुख्य शीर्ष 2702— लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट—I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 2702—लघु सिंचाई	02—भू—जल	005—अन्वेषण / 01—सर्वेक्षण एवं जॉच	6970.700

कुल आवंटित राशि —

रुपये उनहत्तर करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट उपबंध ₹ 10523.49 लाख (एक सौ पाँच करोड़ तेइस लाख उनचास) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

०५/०४/१९

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम रत्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण Online किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट :** यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


  
 (अरुण कुमार सिंह) 4.4.19  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 08

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/गोड़ा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सरायकेला/देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/साहेबगंज/कोडरमा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


रॉची, दिनांक :- 05/04/19

  
 (अरुण कुमार सिंह) 4.4.19  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 08

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०संवि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(रमेश कुमार दूबे)  
 उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)  
 विशेष सचिव

  
 (अरुण कुमार सिंह) 4.4.19

अपर मुख्य सचिव

मांग संस्था-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02 भूजल  
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सरक्षण और जाँच

पत्रांक..... 08/05/19 का

अनुलेनक

क्र० सं	वित्तीय वर्ष 2019-2020	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष-04-गोटसाडियां	विस्तृत शीर्ष-07-शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में				
				वेतन 2000 के रूप का	15.11. एलटीएसी० दर्शीय यात्रा व्यय	कार्यालय का नाम	कार्यालय व्यय	दर्दे, कर	किरणा, सामग्री	दूरभाष	वर्ती	विद्युत व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	मुख्य अधिकारी	18.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	19.30	
2	मुख्य अधिकारी लघु सिंचाई, झेंची	152.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	153.30	
3	योजना भोजन एवं आयोजन अंचल-३रोंची	61.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	61.95		
4	लघु सिंचाई अंचल-चाईवासा	17.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	17.95		
5	लघु सिंचाई अंचल, टुमका	120.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	120.95		
6	लघु सिंचाई अंचल, देवधर	16.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	16.95		
7	लघु सिंचाई अंचल-मोदीनगर	109.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	109.95		
8	लघु सिंचाई अंचल-रोंची	83.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	83.95		
9	लघु सिंचाई अंचल-हजारीबाग	77.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	77.95		
10	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमाणल-झेंची	30.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	30.80		
11	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमाणल-रोंची	189.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	189.80		
12	लघु सिंचाई प्रमाणल-कोडरमा	123.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	123.80		
13	लघु सिंचाई प्रमाणल-खेंटी	246.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	246.80		
14	लघु सिंचाई प्रमाणल-गडवा	136.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	136.80		
15	लघु सिंचाई प्रमाणल-गिरीहिर	178.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	178.80		
16	लघु सिंचाई प्रमाणल-गुमला	213.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	213.80		
17	लघु सिंचाई प्रमाणल-गोड्डा	232.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	232.80		
18	लघु सिंचाई प्रमाणल-चतरा	158.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	158.80		
19	लघु सिंचाई प्रमाणल-चाईवासा	224.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	224.80		
20	लघु सिंचाई प्रमाणल-जामसोदारु	343.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	343.80		
21	लघु सिंचाई प्रमाणल-जामताडा	250.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	250.80		
22	लघु सिंचाई प्रमाणल-टुमका	440.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	440.80		

(एजेंट प्रभाव)  
उप सचिव (आयो)

(मिश्र कुमार हुड्डे)  
विशेष सचिव

(अरुण कुमार सिंह)  
अप्र मुख्य सचिव

4-06-19

27/11

06/05/19

वित्तीय वर्ष 2019-2020		विस्तृत शोर्ट-01-वेतन एवं भत्ते यात्रा व्यय		विस्तृत शोर्ट-03-प्रशासनिक व्यय		विस्तृत शोर्ट-04- मोटरसाइकिलों विद्युत व्यय		विस्तृत शोर्ट-07- शोर्ट-04- मोटरसाइकिलों विद्युत व्यय		राशि लाख रुपये में					
क्रमांक	कार्यालय का नाम	वेतन 2000 के पूर्ति का	15.1. एलटीटी० देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय दरें कर	किराया, आपूर्ति एवं सामग्री	दूर्साध	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरसाइकिलों विद्युत व्यय	विद्युत व्यय	कुल योग	अधिकृति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	लघु सिचाई प्रमङ्गल- घनबाद	196.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	196.80	
24	लघु सिचाई प्रमङ्गल-पापुड़	176.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	176.80	
25	लघु सिचाई प्रमङ्गल- बोकारो	247.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	247.80	
26	लघु सिचाई प्रमङ्गल, मोदीनगर	196.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	196.80	
27	लघु सिचाई प्रमङ्गल-रामगढ़	210.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	210.80	
28	लघु सिचाई प्रमङ्गल-रोची	462.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	462.80	
29	लघु सिचाई प्रमङ्गल-लातोहार	129.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	129.80	
30	लघु सिचाई प्रमङ्गल-लोहरदग्गा	134.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	134.80	
31	लघु सिचाई प्रमङ्गल-सरायकेला	270.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	270.80	
32	लघु सिचाई प्रमङ्गल-साडेबांज	254.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	254.80	
33	लघु सिचाई प्रमङ्गल- सिमडेगा	170.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	170.80	
34	लघु सिचाई प्रमङ्गल- हजारीबाग	174.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	174.80	
35	लघु सिचाई प्रमङ्गल- छुकानबाद	152.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	152.80	
36	लघु सिचाई लोपाकण एवं मोनेटरिंग <small>प्रान्तिक व्यापक</small>	55.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	55.80	
37	लघु सिचाई लोपाकण प्रमङ्गल-तुमका,	224.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	224.80	
38	लघु सिचाई लोपाकण प्रमङ्गल, रोची	203.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	203.80	
39	निदेशक , मूराम जल निदेशालयरोची	62.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	62.85	
40	मूराम जल सर्वेक्षण प्रमङ्गल-तुमका	65.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	65.80	
41	मूराम जल सर्वेक्षण प्रमङ्गल-रोची	95.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	95.80	
42	मूराम जल सर्वेक्षण प्रमङ्गल-हजारीबाग	46.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	46.80	
कुल आवंटन -		<b>6935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.50</b>	<b>11.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6970.70</b>				

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-39/बजट दिन 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विप्रवीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान है।

कुल आवंटित राशि-

रूपये उनहस्तर करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)

(रमेश कुमार देव)

(आरुण कुमार सिंह)

4-4-19

०८/०५/११

विशेष सचिव